

डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद
उनवान

रामेश्वर बनाम नौसर

दावा बाबत :- 53, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -108/2015

पेश करने की दिनांक -05.10.15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-
ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

राजेश पुत्र मिश्रीलाल		रामेश्वर पुत्र मांगू		केशर पत्नी कल्याण 1/9, गोपाल पुत्र रूपा 1/6, जसराज पुत्र कल्याण 1/57, दुर्गा पत्नी रतनलाल 16/171, दुर्गा पत्नी रतनलाल 1/6 नौसर पत्नी रूपा 1/6, रतनलाल पुत्र कल्याण 1/9	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
1047/5153/1	0.0450	1047/5153/2	0.0450	1029/5152	0.29
1045/1	0.0191	1045/2	0.0191	1042/5149	0.17
1050/5148/1	0.2225	1050/5148/2	0.1575	1045/3	0.3318
		1051/1	0.065	1043	0.020
				1046	0.14
				1051/2	0.2250
				1052	0.58
				1055/5182	0.64
				1049/5171	0.30
				1048/5157	0.17

खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.01 गे०मु० चाह पूर्व अनुसार शामलाती रहेगे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

कअखत, दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सवूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद